न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 110/2018
पंजीयन दिनांक 21.06.2018

(1). नानालाल पिता स्वर्गीय हराजी बोला जाति बोला निवासी मानपुरा हाल गोपालनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2).सोहनलाल पिता स्वर्गीय हराजी बोला जाति बोला निवासी मानपुरा हाल गोपालनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3).भज्जुलाल पिता स्वर्गीय हराजी बोला जाति बोला निवासी मानपुरा हाल गोपालनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). दिनेश पिता प्रेमलाल बोला जरिये संरक्षक माता उदी पत्नी प्रेमलाल बोला निवासी मानपुरा हाल हसडावन तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(5). उदीबाई पत्नी स्वर्गीय प्रेमलाल बोला निवासी मानपुरा हाल हसडावन तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). भगवती बाई पिता स्वर्गीय हराजी बोला जाति बोला निवासी मानपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). सुरेशचन्द्र पिता स्वर्गीय हराजी बोला जाति बोला निवासी मानपुरा हाल गोपालनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). रत्तु बाई पत्नी स्वर्गीय हराजी बोला जाति बोला निवासी मानपुरा हाल गोपालनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). प्रबन्धक ग्राम सेवा सहकारी समिति मानपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(5). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 237/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2018

उपस्थित वक्त बहस-(1). अभिषेक गर्ग-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). बगदीराम धाकड़- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 22.09.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मानपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 1102/904, 1103/906, 1104/912 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर स्थित है जिस पर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कई वर्षो से अपने पिताजी के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त आराजीयात वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्वामित्व खातेदारी व उपयोग उपभोग की पुश्तैनी कृषि आराजीयात है। प्रतिवादीगण अपीलांट्गण उक्त आराजीयात के पडौसी है तथा आये दिन बिना कारण वादिया के साथ मारपीट करते रहते है व वादिया के प्रति द्वेष भाव रखते है। मूल पुरुष हरा की मृत्यु के बाद जो हिस्सा वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता रत्तु के नाम आया, रत्तु ने अपने हिस्से का दान विलेख से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे कर दिया तथा राजस्व रेकॉर्ड मे नामान्तरकरण संख्या 620/21.03.2013 दान विलेख से रत्तु के बजाय वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण अपीलांट्गण आये दिन उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि पर विवाद करते रहते थे, जिससे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विभाजन का वाद पूर्व मे पेश किया था जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया तथा न्यायालय के आदेश से उक्त वर्णित विवादित आराजीयात का विभाजन किया जाकर नामान्तरण संख्या 718/06.08.2015 से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खाता अलग कर दिया गया जो वादपत्र में अंकित किया गया है। प्रतिवादीगण अपीलांट्गण विभाजन होने के बाद भी वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की खातेदारी की भूमि मे आये दिन दखलन्दाजी कर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ मेर पाली को लेकर विवाद कर रहे है, वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उसके खातेदारी की आराजी की पत्थरगढ़ी हेतु मौके पर भी प्रतिवादीगण जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए तथा ताकत के बल पर जबरन वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जिससे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वाद बाबत कब्जयाबी का पेश किया जा रहा है। अन्त मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात से प्रतिवादीगण अपीलांट्गण को बेदखल किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांट्गण का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द करने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली दिनांक 31.08.2018 को लोक अदालत मे रखी गई। प्रतिवादी संख्या 4 को उपस्थित होना बताकर एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 5 से 6 अपीलांट्गण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गए। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वादपत्र की पुष्टी के लिये पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दिनांक 16.05.2016 की छायाप्रति, ग्राम मानपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 की खातौनी संख्या 243 की छायाप्रति, न्यायालय निर्णय दिनांक 02.07.2015 की छायाप्रति, पुलिस थाने मे दर्ज एफआईआर की छायाप्रति प्रस्तुत कर मौखिक साक्ष्य के रूप मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होना मानते हुए वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर प्रतिवादीगण अपीलांट्गण का अवैध कब्जा होना मानते हुए वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात से प्रतिवादीगण अपीलांट्गण का अवैध कब्जा हटाया जाकर कब्जा पुनः वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुपुर्द किये जाने तथा प्रतिवादीगण अपीलांट्गण के द्वारा कब्जा नहीं हटाने की स्थिति मे पुलिस इमदाद ली जाकर कब्जा हटवाये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया साथ ही प्रतिवादीगण अपीलांट्गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत कब्जेयाबी व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाबदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पेश किया जाकर वादपत्र मे अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया जाकर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा वादिया के साथ कभी कोई विवाद नहीं किया गया है, अन्य प्रतिवादीगण की ओर से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेने से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने यह वाद पेश किया है। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मुझ प्रतिवादी संख्या 4 को पाबन्द कराने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया जिसका वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी हेतु नियत थी जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.05.2018 नियत थी। दिनांक 31.05.2018 को अपीलांटगण की बिना जानकारी के पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत कब्जेयाबी व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । दिनांक 31.05.2018 को लोक अदालत के तहत पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो क आधार पर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होने से व वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 अपीलांटगण का अवैध कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 अपीलांटगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 अपीलांटगण को बेदखल किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2018 यथावत जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत कब्जेयाबी व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिगण को जरिये सम्मन नोटिस तलव किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वादपत्र मे अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया जाकर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ कभी कोई विवाद नहीं किया गया है, अन्य प्रतिवादीगण की ओर से वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेने से वादिया ने यह वाद पेश किया है। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मुझ प्रतिवादी संख्या 4 को पाबन्द कराने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावे व जवाबदावे के अनुसार तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली मे तनकीयात कायम नही की गई। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया जिसका वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी हेतु नियत थी जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.05.2018 नियत थी। दिनांक 31.05.2018 को अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 5 व 6 की बिना जानकारी के पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 237/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

05.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर, साक्ष्य लिवायी जाकर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर अजसरे तनकीवार नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 02.11.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़(राज0)